न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 25/2023

1. गुरमेल सिंह पुत्र सेवासिंह जाति जटसिख साकिन ढ़ाणी मोधूवाली हाल आबाद चठ्ठेवाला तहसील तलवन्डी साहबो जिला भठिण्डा (पंजाब)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. हरीश कुमार शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. अमरजीतकौर पत्नी सेवासिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधूवाली हाल आबाद चठ्ठेवाला तहसील तलवन्डी साहबो जिला भठिण्डा (पंजाब)।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–असल रेस्पोडेन्टस

4. करनेलसिंह पुत्र सेवासिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधूवाली हाल आबाद चठ्ठेवाला तहसील तलवन्डी साहबो जिला भठिण्डा (पंजाब)।

–तरतिबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

निर्णय दिनांकः–27.03.2024

अपीलांट गुरमेल सिंह पुत्र सेवासिंह जाति जटसिख साकिन ढ़ाणी मोधूवाली हाल आबाद चठ्ठेवाला तहसील तलवन्डी साहबो जिला भठिण्डा (पंजाब) द्वारा विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार (भू.अ.) फेफाना दिनांक [illegible]23 जिसमें इंतकाल संख्या 993 रोही मौजा चक 19 जे.एस.एन. तहसील नोहर [illegible] किया गया, को निरस्त करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:12 IST
Reason: SelfAttested

1. अपील कृत निर्णय विधि विरूद्व तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

2. रोही मौजा चक न. 19 जे. एस. एन. तहसील नोहर के प.नं. 324/393 (30) कि.न. 16/1 की 0.0250, 16/2 की 0.2280, 25/1 की 0.0260, 25 /2 की 0.2270 प. नं. 324/394 (49) कि.नं. 5/1 की 0.0250, 5/2 की 0.2280, 6 ता 7 की 0.5060 प.नं. 325/393 (31) कि.नं. 18 ता 22 की 1.2650 प.नं. 325/394 (48) कि.नं. 1/1 की 0.0250, 1/2 की 0.2280, 2/1 की 0.0260, 2/2 की 0.2270 प. नं. 326/395 (50) कि.नं. 6/1 की 0.0380, 6/2 की 0.2150, 7 ता 10 की 1.0120 प.नं. 331/398 (76) कि.न. 6/1 की 0.0250, 6/2 की 0.2280, 7/ 0.2530, 14/2 की 0.1260, 15/1 की 0.1140 कुल 5.0470 हैक्टेयर भूमि का सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह जाति जटसिख साकिन ढ़ाणी मोधूवाली तहसील नोहर खातेदार काश्तकार था। जिसने अपने जीवन काल में ही विवादित भूमि की एक वसीयत दिनांक 26.07.1999 को उप पंजियक तलवन्डी साहबो से अपने दो पुत्रो अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट नं. 4 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर का दिनांक 28.04.2020 को देहांत हो गया। इसलिए बाद देहांत सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह अपीलांट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट नं. 4 मुताबिक वसीयत दिनांक 26.07.1999 के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे। लेकिन ग्राम पंचायत जसाना द्वारा वसीयत दिनांक 26.07.1999 अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट न. 4 के नाम होते हुए भी विवादित भूमि का अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 2 व 4 के नाम विधि विरूद्ध तरीके से विवादित भूमि का इन्तकाल नं. 801 दिनांक 05.08.2020 को विरासतन तस्दीक कर दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 2 का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। इसलिए इन्तकाल नं. 801 दिनांक 05.08.2020 को निरस्त करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर की अदालत में अपील जैरकार है। जिसमें दिनांक 12.10.2023 को स्थगन जारी है कि विवादित भूमि को रहन बैय ना करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

3. विवादित भूमि सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह जाति जटसिख की खुद की पैदा करदा भूमि है जिसकी अपने जीवन काल में ही एक वसीयत दिनांक 26.07.1999 को उप पंजियक तलवन्डी साहबो से अपने दोनों पुत्रो अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट नं. 4 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह जाति जटसिख का दिनांक 28.04.2020 को देहांत हो गया। इसलिए बाद देहांत सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह अपीलांट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट नं. 4 मुताबिक वसीयत दिनांक 26.07.1999 के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे। लेकिन रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने साजिसाना कार्यवाही कर विवादित भूमि में हक व हिस्सा ना होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पक्ष में दिनांक 09.10.2023 को विधि विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swankar
Date: 2024.06.03 16:58:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बैयनामा करवा दिया है, जो अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट नं. 4 के हकूक के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है। उसके बावजूद भी उप तहसीलदार फेफाना ने साजिसाना कार्यवाही कर क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर बैयनामा दिनांक 09.10.2023 के आधार पर विवादित भूमि का रेस्पोडेन्ट न. 1 के नाम विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल नं. 993 दिनांक 12.10.2023 को तस्दीक कर दिया गया, जो उप तहसीलदार फेफाना ने कानून की स्पष्ट अवहेलना कर इन्तकाल तस्दीक किया है, जो निरस्त योग्य है।

4. उप तहसीलदार फेफाना ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट नं. 4 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, ना ही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कब्जा संम्बधी जांच की, यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

5. बैयनामा के आधार पर इन्तकाल तस्दीक करने का क्षैत्राधिकार 45 दिन तक ग्राम पंचायत को है। यदि 45 दिन तक ग्राम पंचायत इन्तकाल तस्दीक नहीं करती है तो क्षैत्राधिकार तहसीलदार व उप तहसीलदार को होता है। उसके बावजूद भी उप तहसीलदार फेफाना ने विधि विरूद्व इन्तकाल तस्दीक किया है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है।

6. विवादित भूमि पर उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर द्वारा जारी स्थगन आदेश था उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने कानूनी प्रक्रिया को नजर अन्दाज कर विधि विरूद्ध तरीके से क्षैत्राधिकार को नजर अन्दाज कर इन्तकाल तस्दीक किया है जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है। जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

7. मातहत अदालत को निर्णय करने से पूर्व जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:12 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा अपील अपीलान्ट [illegible] अपीलान्ट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 993 रोही मौजा चक नं. 19 जे.एस.ए. तहसील नोहर दिनांक 12.10.2023 निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 क ओर से श्री रविन्द्र गोदरा एडवोकेट उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या–02, 3 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बाद तामिल भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–04 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तर्क किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह उक्त विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार था। जिसने अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 26.07.1999 को उप पंजीयक तलवन्डी साहबो से अपने दोनों पुत्रों अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या–04 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी। दिनांक 28.04.2020 को सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह का देहान्त हो चुका है। सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह के देहान्त के पश्चात मुताबिक दिनांक 26.07.1999 की वसीयत के अनसुार अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या–04 विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये लेकिन ग्राम पंचायत जसाना द्वारा दिनांक 05.08.2020 को अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या– 2, 4 के पक्ष में विरासतन नामान्तरण संख्या 801 तस्दीक कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या–02, जो कि खड़गसिंह पुत्र सेवासिंह की पत्नी एंव अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या–04 की माता है, दिनांक 09.10.2023 विरासतन नामान्तरण संख्या 801 दिनांक 05.08.2020 द्वारा प्राप्त अपने हिस्से का बैयनामा दिनांक 09.10.2023 को कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही था। दिनांक 09.10.2023 के बैयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 993 भरा गया है, जो की विधि सम्मत नहीं है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 993 दिनांक 12.10.2023 को खारिज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि हम तो उक्त विवादित भूमि के सदभावी क्रेता है एंव उक्त भूमि की नियमानुसार कीमत अदा की है। दिनांक 09.10.2023 का बैयनामा कार्यालय उप पंजीयक नोहर द्वारा पंजीकृत है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:12 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण संख्या 993 दिनांक 12.10.2023 चक 19 जे.एस.एन. की पत्रावली का अध्ययन किया। अपीलांट द्वारा सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह द्वारा यह भूमि स्वंय क्रय की गई, इस संबध में कोई साक्ष्य एंव सबूत प्रस्तुत नहीं किया। यदि विवादित भूमि पैतृक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है तो वसीयतकर्ता केवल अपने हक व हिस्से की भूमि की वसीयत कर सकता है। अतः सेवासिंह पुत्र खड़गसिंह द्वारा की गई वसीयत बिना साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है। नामान्तरण संख्या 993 दिनांक 12.10.2023 रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर भरा गया है, जो कि नियमानुसार एंव विधि सम्मत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 993 भरते समय कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर नामान्तरण संख्या 993 दिनांक 12.10.2023 रोही मौज 19 जे.एस.एन. बहाल रखा जाता है। अतः अपील खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.3.2024 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:12 IST
Reason: SelfAttested